

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

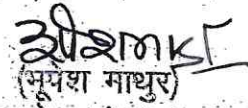
क्रमांक:- एफ.2 (क) (वी-238)अलेसे-1/547-553

दिनांक:- 28/06/2023

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 के अन्तर्गत श्री विमल कुमार जैन, (सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2023) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त (नियम) विभाग में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद पर दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2024 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो. पे-पेंशन (Pay Minus Pension) के आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 26.06.2023 एवं कार्मिक विभाग की स्वीकृति दिनांक 20.06.2023 अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(श्री श्याम कुमार)

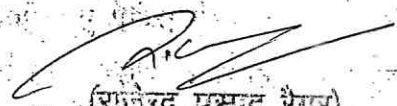
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (वी-238) अलेसे-1/547-553

दिनांक:- 28/06/2023

प्रसिलाने निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 26.06.2023 के क्रम में।
4. कोषाधिकारी, कोषालय सचिवालय, जयपुर।
5. श्री विमल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/मॉड्यूल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।



(श्री प्रसाद रंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)